न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 24/2015

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

1. फुलाराम पुत्र जोगाराम जाति मेगवाल निवासी पिराणा तहसील सायला जिला जालोर जरिये पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर हीरालाल पुत्र धरमाराम जाति चौधरी निवासी भीमाना तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही

1. लक्ष्मी पुत्री वीराराम पत्नि पूनमाराम जाति मेघवाल निवासी खाखरवाडा तहसील पिण्डवाडा
2. दौली बेवा गलाजी जाति मेघवाल निवासी भीमाना तहसील पिण्डवाडा
3. वीराराम पुत्र पाता जाति मेघवाल निवासी भीमाना तहसील पिण्डवाडा
4. भूराराम पुत्र पाता जाति मेघवाल निवासी भीमाना तहसील पिण्डवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्रसिंह आढा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से
रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9.5.2018

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाडा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 23/2013 बअनवान लक्ष्मी बनाम फुलाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 18.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा हेतु वाद तथा वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा की सम्पति होना बताते हुए उक्त भूमि में अपने हक हिस्से की घोषणा का अनुतोष चाहा तथा अपीलाण्ट एवं अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 द्वारा उक्त भूमि अपीलाण्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान की जा चुकी है तथा अपीलाण्ट बोनाफाईड पर्चेज़र होकर काबिज आराजी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त भूमि में कहीं भी हक हिस्सा निहित नहीं है तथा न ही मौके पर कब्जा काश्त है। चूंकि अपीलाण्ट प्रथम श्रेणी में वारिशान नहीं है, इस कारण दादा की सम्पति में पौत्री को हक हिस्सा/अधिकार नहीं बनता है। हस्तगत प्रकरण में दादा की मृत्यु होने के पश्चात जब नामान्तरकरण दायर किया गया, तो स्वतः विभाजन करते हुए नामान्तरकरण दायर किया गया है। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता वीरा द्वारा अपन हिस्से की भूमि का बेचान किया जा चुका था। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हिस्सा शेष नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0जे0टी0 2016 (1) पेज 678, डी0एन0जे0 (राज.) 2009 (1) पेज 279, डी0एन0जे0 (एच.सी.) 2016 पेज 258 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा पाता पुत्र भावा की सम्पति थी। पाता के तीन पुत्र थे, जो गेला, भूरा व वीरा थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वीरा की पुत्री है। चूंकि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा की थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का जन्म पाता के जीवनकाल में हो चुका था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त पुश्तैनी सम्पति में जन्म से हक अधिकार निहित हो चुका था। पाता फौत होने पर जो नामान्तरकरण दायर किया गया, उसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा मात्र दोली, वीरा व भूरा के नाम ही नामान्तरकरण दायर किया गया, जबकि उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का भी हक हिस्सा निहित है। अन्य रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि का बेचान किया गया, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से की भूमि भी शामिल थी, जिसका उन्हे बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। इस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में प्रमाणित माना है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से की भूमि तक यथास्थिति के आदेश पारित किए है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2005 (2) पेज 218,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

डी0एन0जे0 (एच.सी.) 2012 पेज 89, आर0आर0डी0 1981 पेज 512, डी0एन0जे0 (राज.) 2002 (3) पेज 1357 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील वादस्थ भूमि अपने दादा की होकर अपनी पुश्तैनी होने के कारण अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया तथा दौराने वाद वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये वादस्थ भूमि के श्री वीराराम के अतिरिक्त वादीया के 1/6 हिस्से के विषय में ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञ जारी की। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र आदेशिका में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति प्रार्थीया के पक्ष में साबित होना मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जबकि उक्त तीनों ही बिन्दु प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किस रूप में साबित होकर, हस्तगत प्रकरण को किस हद तक प्रभावित करते है, इसका कहीं भी विवेचन नहीं किया गया है। राजस्व रेकर्ड के मुताबिक जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जो रजिस्टर्ड बेचान के जरिये अपीलाण्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। इस प्रकार अपीलाण्ट उक्त भूमि के सद्भावी क्रेता होकर काबिज आराजी है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विवादित आराजी अपने दादा की होना बताते हुए सीधे दादा की सम्पति में पौत्री के हिस्से का अनुतोष चाहा है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पिता जीवित है, जो प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 संयोजित है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी0एन0जे0 (राज.) 2009 (1) पेज 279 अब्दुल वासी बनाम अब्दुल कबीर व अन्य में यह व्यवस्था प्रदान की है कि "विवादित आराजी वादी के दादा की थी और वादी का पिता जीवित है और वह मामले में प्रतिवादी संख्या 3 है – पिता की मौजूदगी में पुत्र को बंटवाडा हेतु वाद पेश करने का अधिकार नहीं है।" इसी प्रकार आर0एल0डब्ल्यू0 2005(2) पेज 218 मेहरचन्द बनाम ओमप्रकाश व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह प्रतिपादित किया कि "अपने पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र का अधिकार होताहै और वह उसका विभाजन करा सकता है– अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों के सम्बन्ध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनाये रखना है और आगे किसी संभावित क्षति से सुरक्षा करना है।" इस प्रकार पिता के जीवित रहते पुश्तैनी सम्पति में पुत्र/पुत्री का हक अधिकार होने के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पृथक पृथक मत है। हालांकि ये मूल वाद में सहायक सिद्ध हो सकते है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट रेकर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उस 1/6 हिस्से तक यथास्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

बनाए रखने हेतु पाबन्द किया गया है, जो वर्तमान में अस्तित्व में ही नहीं है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में संभावित हक को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान खातेदार को पाबन्द किया गया है, जो निश्चय ही एक खातेदार कृषक को उसकी कृषि संक्रियाओं से बाधित करेगा। यह स्थिति न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की तीनों बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन किए बिना ही एक रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है, जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाडा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 23/2013 बअनवान लक्ष्मी बनाम फुलाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 18.02.2014 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए उपरोक्त Observation के सम्बन्ध में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही